

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 218/2019

दायर दिनांक :- 07.10.2019

अनवान

श्री मनभर पुत्री बंशीलाल गुवारिया नि. कुचलवाडाकलां तह. जहाजपुर  
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री नन्दलाल पिता उंकार मीणा नि. हनुमाननगर थाने के सामने कुच.कलां
2. श्री सुवाराम पिता जमनालाल खटीक नि. कुचलवाडाकलां तह. जहाजपुर
3. श्री जमनालाल पिता मोतीलाल बैरवा नि. कुचलवाडाकलां तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम कुचलवाडाकलां प० ह० उँचा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1788/1509 रकबा 03.19 बीघा भूमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कुचलवाडाकला प० ह० उँचा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1788/1509 रकबा 03.19 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अगरवासी का कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी,

जहाजपुर (भीलवाडा)

